(वाद सं0–6352/18)

22.06.2021

प्रसंगाधीन मामला, लखनऊ में कार्यरत I.T.B.P के एक जवान, दीपक चौधरी, जो परिवादी, माया देवी के पड़ोसी है, के द्वारा अपने साथी जवानों के साथ मिलकर दिनांक–21.07.2018 को परिवादी के घर पर महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने व प्रताड़ित करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अपने प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी पक्ष व विपक्षियों के बीच करीब बीस वर्ष पूर्व से सरकारी जमीन में रास्ता को लेकर विवाद चल रहा है। वर्ष–2016 में इस विवाद को लेकर एक मार–पीट की घटना हुई थी जिसमें परिवादी पक्ष की ओर से कोपा थाना कांड संख्या–75/16, तथा परिवादी के विपक्षियों की ओर से कोपा थाना कांड संख्या–73/2016 संस्थित किया गया जिसमें पुलिस द्वारा अन्वेषणोंपरान्त आरोप–पत्र समर्पित कर दिया गया है। इसी रास्ते के विवाद को लेकर परिवादी के पुत्र अमित कुमार द्वारा पुनः कोपा थाना कांड संख्या–28/2018, दिनांक–23.07.2018 संस्थित कराया गया है जो वर्त्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है। पुलिस प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा लगाये गये अन्य आरोपों की जांच में पुष्टि नहीं हो पाने का उल्लेख भी किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी की ओर से अनुलग्नकों के साथ अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी की ओर से पूर्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा I.T.B.P के वरीय पदाधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की गयी थी।

परिवादी के प्रत्युत्तर पर पुनः पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अपने दुसरे प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रास्ते के विवाद को लेकर परिवादी के पुत्र अमित कुमार द्वारा संस्थित कोपा थाना कांड सं0–128/18,

दिनांक–23.07.2018 के अनुसंधान के क्रम में दीपक चौधरी व अनिता देवी के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 341/ 427/ 504/ 506/34 तथा भारतीय वन अधिनियम–1927 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के दुसरे प्रतिवेदन पर भी परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी की ओर से पुनः यह उल्लेख किया गया है कि उसका दीपक चौधरी के साथ भूमि विवाद है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि उसकी ओर से समान आशय का एक आवेदन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी दिया गया है।

प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद चल रहा है। उक्त भूमि विवाद के आलोक में तीन आपराधिक मामले संस्थित किये गये है जिसमें से दो मामले वर्त्तमान में अनुसंधानोपरान्त न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि एक मामला अनुसंधानन्तर्गत है।

अब, जबकि उपरोक्त मामले से संबंधित दो कांडों में पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा एक अन्य कांड अनुसंधानान्तर्गत है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग स्तर से उक्त के संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>